बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/टीकमगढ/भू0रा0/ /2018

119 निगरानी – 2811/2018/टीकमगढ/भू.रा.

बालमकुन्द ब्राम्हण तिवारी तनय श्री मुन्नूलाल तिवारी, आयु – 59 साल, निवासी ग्राम डूडा तहसील व जिला टीकमगढ म.प्र.

–– आवेदकगण

श्री अमित अग्रवाल द्वारा आज दि. 9-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. श्रीमती प्रभा तिवारी पत्नी सुरेन्द्र तिवारी, आयु 50 साल,
2. पवन तिवारी तनय सुरेन्द्र तिवारी, आयु 22 साल, दोनों निवासीगण ग्राम डूडा, तहसील व जिला टीकमगढ म.प्र.
3. सुरेन्द्र तनय रामदयाल ब्राम्हण, निवासी ग्राम डूडा, तहसील व जिला टीकसगढ म.प्र.

–– अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 168/बी–121/2016–17 में आदेश दिनांक 24.04.2018 से व्यथित होकर।

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी- 2811/2018/ टीकमगढ़/भू.रा.

बालमकुन्द ब्राहम्ण विरूद्ध श्रीमती प्रभा तिवारी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक बालमकुन्द ब्राहम्ण की ओर से अभिभाषक श्री अमित कुमार अजरिया एवं अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 168/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24-04-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-05-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

3

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

2.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य